


उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनुभाग-7
संख्या-138/XXVII(7)7(1)/2013
देहरादून : दिनांक 25 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञाप


उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 के नियम-11, अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली के नियम-11(1) तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन बीमा नियमावली, 1984 के नियम-9 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि पेंशन बीमा एवं नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना में अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 जुलाई, 2017 से दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक 7.8% (सात दशमलव आठ प्रतिशत) होगी। उक्त दर 01 जुलाई, 2017 से लागू होगी।


(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या-138(1)/XXVII(7)7(1)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, देहरादून, रुड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञापित की 100 (एक सौ) प्रतियां मुद्रित कराकर शासन की शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. ऑडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून (राज्य सरकार की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु)।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।